...यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या 396/2017

निर्णय दिनांक :– 30.03.2021

उनवानी प्रार्थना पत्र :–

1. यशपाल पुत्र भंवरलाल जाति धाकड़ निवासी चान्दली तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. सुगनपाल पुत्र भंवरलाल जाति धाकड़ निवासी चान्दली तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थीगण–

बनाम

1.दुर्गालाल पुत्र भोमा जाति धाकड़ निवासी चान्दली तहसील देवली जिला टोंक राज0
2.सत्यनारायण पुत्र भोमा जाति धाकड़ निवासी चान्दली तहसील देवली जिला टोंक राज0

–अप्रार्थीगण–

उपस्थितिः–

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री सत्यनारायण धाकड़
अधिवक्ता अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए

निर्णय/आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकात की आराजयात ख.न.1558 रकबा 0.18 है., वाके ग्राम चान्दली तहसील देवली मे स्थित हे जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा है। उक्त भूमि से पहले अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख.न.1559 रकबा 0.35 हे. वाके ग्राम चान्दली तहसील देवली स्थित हे उक्त भूमि मे से होकर प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से ही आते–जाते रहे है ओर खेती सम्बन्धित उपकरण आदि भी उक्त खेत मे बने हुऐ रास्ते से ही लेकर जाते–आते रहे हे, लेकिन प्रतिपक्षीगण आये दिन प्रार्थीगण जिस रास्ते से आते–जाते रहे हे उसमे मजाहमत करते हे जिसके कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी के खेत ख.न. 1558 मे सही तरह से फसल काश्त नही कर पाये हे, वर्तमान मे अप्रार्थीगण ने उक्त रास्ते मे अवरूद्ध कर दिया है। उक्त रास्ते मे पत्थर डालकर व बम्बूल डालकर प्रार्थीगण के आने–जाने मे रूकावट पैदा कर दी है जिसके कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि मे आ जा नही पा रहे है प्रार्थीगण की उक्त भूमि के खेत मे जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी नही हे, प्रार्थीगण नियमानुसार डी–एल–सी रेट के अनुसार राशि अदा करने को तेयार है। यह कि प्रार्थीगण का व अप्रार्थीगण का निवास स्थान एवं आराजियात माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे होने के कारण उक्त प्रा. पत्र को सुनने का श्रणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार गुप्ता ने वकालतनामा व पेश किया जो इस प्रकार हैः—प्रार्थना पत्र का चरण न0 1 सही है स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 2 गलत है अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 3 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र का चरण नं0 4 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नहीं है। विशेष आपत्तियांः— प्रार्थना पत्र के चरण नं0 2 में वर्णित प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि खसरा न0 1558 में कृषि कार्य करने हेतु गै0मु0 रास्ता ख0न0 1561 से 1560 ख0न0 1559 तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की सामलाती कुआ ख0न0 1557 तक आते जाते रहते है। लेकिन आपसी रंजिशवश प्रार्थीगण उक्त रास्ते से न जाकर केवल मात्र प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख0न0 1559 में से ही जबरन रास्ता निकलवाना चाहते है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण व रामनारायण पुत्र हरनाथ जाति धाकड़ की संयुक्त खातेदारी की भूमि आराजी ख0न0 1557 रकबा 0.06 है0 किस्म गै0मु0 चाह पर सभी संयुक्त खातेदार आराजी ख0न0 1560 जो रामनारायण के पुत्र मुकेश व सुरेश धाकड़ के खेत में से, आराजी ख0न0 1559 जो अप्रार्थीगण की भूमि में से और प्रार्थीगण की भूमि ख0न0 1558 में से आते जाते है। जिसमें सभी खातेदार उपयोग उपभोग रास्ते के रूप में करते चले आ रहे है। लेकिन आपसी रंजिशवश अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि का स्वरूप बिगाडने के उद्देश्य से पूर्व में रास्ता होने के बावजूद भी नया रास्ता निकलवाना चाहते है। अतः श्रीमानजी से जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाने के आदेश प्रदान करें।

तहसीलदार देवली से प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में रिपोर्ट ली गई जो इस प्रकार हैः— प्रार्थी को अपनी आराजीयात ख. नं. 1558 रकबा 0.18 है0 व शामलाती गै. मु. चाह ख. नं. 1557 में जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर कृषि कार्य हेतु रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई ख.नं. 1559 में लम्बाई 84 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर =336 वर्ग मीटर होगी जो प्रार्थीगण ख. नं. 1539 की दक्षिणी सीमा पर चाहते है परन्तु अप्रार्थीगण उपरोक्त रास्ता ख. नं. 1558 , 1559 व 1560 की उतरी सीमा पर देने हेतु सहमत है जिसमें ख. नं. 1560 लम्बाई 50 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर =200 वर्ग मीटर, ख. नं. 1559 में लम्बाई 32 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर =128 वर्ग मीटर व ख. नं. 1558 में लम्बाई 24 मीटर व चौड़ाई 4 मीटर =96 वर्ग मीटर होगी । इस प्रकार कुल लम्बाई 106 मी. व चौड़ाई 4 मीटर =424 वर्ग मीटर सामलाती चाह ख. नं. 1557 तक पहुंच मार्ग बन सकेगा। प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान डी.एल.सी दर 4443/—रूपये प्रति एअर है, दुगनी दर से तीनो खसरा नम्बरो की प्रतिकर राशि 37676/— रूपये होगी। आवेदक की आराजी खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी ख. नं. 1559 की दक्षिणी सीमा से रास्ता चाहता है जिसे लाल स्याही से चिन्हित किया गया है तथा अप्रार्थी ख. नं. 1559 की उतरी सीमा से रास्ता देने हेतु सहमत है जिसे हरी स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते में किसी प्रकार की दीवार, पेड़ व संरचना नहीं है। अप्रार्थीगण दक्षिणी सीमा की बजाय ख. नं. 1559 की उतरी सीमा से रास्ता देने हेतु सहमत है। संलग्न भू. अ. नि छायाप्रति, नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण पारम्परिक रास्ता ख. नं. 1559 में से आते जाते रहे है और इस रास्ते में केवल एक ख. नं. पड़ता है जबकि दूसरे रास्ते के लिए दो ख. नं. पड़ते है और यह रास्ता तुलनात्मक रूप से लम्बा है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में मुख्यतया जवाब के तथ्यो को ही दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तावित रास्ता अन्य खातेदारो के लिए उचित है और अप्रार्थीगण सहमत है साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थी ने 3 मीटर चौड़ा रास्ता देने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली व रिपोर्ट का अवलोकन किया। उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2076 अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 475 ख0नं0 1558 रकबा 0.18 है0, वाके ग्राम चांदली मे प्रार्थीगण की जोत में कृषि कार्य हेतु जाने के लिए कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। इस बाबत अप्रार्थीगण ने अपने जवाब व बहस में बताया कि प्रार्थी अपने पूर्वजो के समय से ही ख. नं. 1559 में से अपनी आराजी में आ जा रहा है और अप्रार्थीगण रास्ता देने के लिए सहमत नहीं है। अप्रार्थीगण ख. नं. 1558, 1559 व 1560 की उतरी सीमा पर से देने पर सहमत है। ख. नं. 1560 के खातेदार इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं है। अतः ख. नं. 1558, 1559 व 1560 में से रास्ता दिया जाना कानूनन उचित नहीं है। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की आराजी में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंन्तिक है और रास्ते में अन्य कोई संरचना दीवार, पेड़ इत्यादि नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी को काश्त करने हेतु अपनी आराजी में आने जाने हेतु तहसीलदार देवली की रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में 3 मीटर चौड़ा रास्ता देने हेतु निवेदन किया है। अतः तहसीलदार देवली रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस अनुसार प्रस्तावित रास्ते की ख. नं. 1559 में चौडाई 3 मीटर एवं लम्बाई 84 मीटर कुल क्षैत्रफल 252 वर्ग मीटर अर्थात 0.0252 है0 भूमि की वर्तमान डी. एल सी दर 4443/– रूप्ये प्रति एअर से दुगनी प्रतिकर राशि 22392/– रूपये अथवा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि से पुनः गणना कर, जमा करे और रिपोर्ट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर, नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम करे। तत्पश्चात यह राशि सम्बन्धित खातेदार अप्रार्थी/अप्राथीगण को उनके हिस्से अनुसार प्रदान करे । उक्तानुसार बाद तरमीम रिपोर्ट न्यायालय हाजा में 15 दिवस में पेश करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली